

30-05-18

राज्य द्वारा एडीपीओ

अभियुक्त छोटू उर्फ अजहर अनु०।

प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप० हेतु जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील प्राप्त हो चुका है कि अभियुक्त काफी समय से घर से फरार है। कई बार तलाश करने पर उपस्थिति नहीं हो पाई है। एडीपीओ ने निवेदन किया कि अभियुक्त न्यायालय की आदेशिका से बचने का प्रयास कर रहा है, अतः स्थाई वारंट जारी करने का निवेदन किया।

चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। न्यायालय का इस संबंध में समाधान हो गया है कि अभियुक्त न्यायालय की आदेशिका से बचने का प्रयास कर रहा है और स्वयं को छिपा रहा है। अतः द०प्र०सं० की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त **छोटू उर्फ अजहर पुत्र बालासहाब खॉन निवासी शांतिनगर वार्ड क० 17 गोहद चौराहा** को स्थायी गिरफ्तारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफ्तारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

**(A.K.Gupta)**

**Judicial Magistrate First Class**

**Gohad distt.Bhind (M.P.)**